Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौडगढ़ में श्रम विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर को 22 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की उदयपुर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को चित्तौडगढ़ में कार्यवाही करते हुये श्रम विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर प्यारचन्द कच्छावा को 22 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. उदयपुर के **पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र गोयल** को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये का अनुदान दिलवाने की एवज में श्रम विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर प्यारचन्द कच्छावा द्वारा अपने अधिकारी श्रम आयुक्त करण सिंह यादव के लिये 22 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की उदयपुर इकाई के **पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र गोयल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज श्री हरीशचन्द्र पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम के द्वारा चित्तौडगढ़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **श्रम विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर प्यारचन्द कच्छावा** पुत्र श्री काशीलाल कच्छावा निवासी हरनाथपुरा, त. राश्मी, जिला चित्तौडगढ़ को 22 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।